

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून-248001

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551  
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 3164 /XXV-(P-7)/2008

देहरादून: दिनांक 04 अक्टूबर, 2019.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तराखण्ड।

**विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल ग्राम एवं पोस्ट, जैती, जिला अल्मोड़ा पिन-263626 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य पंजीकृत डाक द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो आपके कार्यालय से संबंधित है। संबंधित सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र (भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या-44एफ 359136 रू० 10.00 सहित मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

**संलग्न-यथोपरि।**

भवदीय,



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

**पू०संख्या 3164 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।**

प्रतिलिपि श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल ग्राम एवं पोस्ट, जैती, जिला अल्मोड़ा पिन-263626 को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

04-10-19

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग  
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न  
बिंदुओं पर सूचना चाहने विषयक।

विन्धु निम्न प्रकार हैं—

- 1- पंचायतों में आरक्षण की सूची जारी होने के बाद एक ग्राम पंचायत से नाम काटकर दूसरी ग्राम पंचायत में नाम जोड़कर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जा सकता है ?
  - 2- ग्राम प्रधान के लिए उस ग्राम पंचायत का रूवाई व परिवार रजिस्टर में नाम होना जरूरी है या सिर्फ भलवाला सूची में नाम होना ?
  - 3- ग्राम पंचायत के गठन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों का होना जरूरी है ?
  - 4- ग्राम पंचायत सदस्यों के बिना प्रस्ताव पारित हो सकते हैं ?
- भद्रोदय जिन बिंदुओं पर सूचना भोगी गयी है सूचना देने की कृपा करें

3626  
हुआ  
स्टल  
केया

प्रार्थी  
/Ruh

( विक्रम सिंह जैन्तवाल )  
ग्राम व पो. ~~जैन्ती~~ जैन्ती  
जिला - अल्मोड़ा



